[2022] 7 एस. सी. आर 295

क.

एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. के माध्यम से चंद्रभान (डिसीज्ड) बनाम

सरस्वती और ओआरएस।

(2022 की सिविल अपील संख्या 6857) 22 सितंबर, 2022

[इंदिरा बनर्जी और जे**.** के**.** माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -s.100-दूसरी अपील-अपीलार्थी को उसके माता-पिता के चाचा ने समुदाय के संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार लगभग 14 वर्ष की आयु में गोद लिया था-अपने दत्तक पिता की मृत्यु के बाद, अपीलार्थी पास के एक गाँव में स्थानांतरित हो गया, जहाँ से उसने संपत्तियों का प्रबंधन किया-1979 में, उसकी दत्तक माँ ने अपनी पहली पत्नी को विवादित संपत्तियाँ उपहार में दीं-अपीलार्थी ने मुकदमे की संपत्तियों के स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना करते हुए नियमित दीवानी मुकदमा दायर किया-अपीलार्थी ने अपने और पांच अन्य गवाहों की गोद लेने और मुकदमे की संपत्तियों पर अपने कब्जे को साबित करने के लिए जाँच की-निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया-पहली अपील अदालत ने अपीलार्थी द्वारा नियमित अपील की अनुमति दी और फैसला किया कि अपीलार्थी को अपनाया गया था और इस प्रकार संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का हकदार था-उच्च न्यायालयदूसरी अपील में शामिल कानून का कोई सवाल नहीं था, कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल तो छोड़िए-तथ्यों पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने किसी भी सबूत पर कार्रवाई नहीं की-प्रथम अपीलीय न्यायालय के तर्क में ऐसी कोई कमजोरी नहीं थी जिसमें हस्तक्षेप का आह्वान किया गया था-अपील का अधिकार स्वचालित नहीं है, बल्कि क़ानून द्वारा प्रदान किया गया है-उच्च न्यायालय में उठाए गए प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षणों को पूरा नहीं करते हैं क्योंकि यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि प्रश्न कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं-प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री को बहाल किया गया।कानून का पर्याप्त प्रश्न-अर्थ और दायरा-आयोजित-'सारगर्भित' होने के लिए, कानून का प्रश्न बहस योग्य होना चाहिए, जो पहले देश के कानून या बाध्यकारी पूर्ववर्ती द्वारा तय नहीं किया गया हो, और मामले के निर्णय पर एक सारगर्भित असर होना चाहिए, यदि किसी भी तरह से जवाब दिया जाए, जहां तक इसके समक्ष पक्षों के अधिकारों का संबंध है-यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या कानून का प्रश्न सारगर्भित है और मामले में शामिल है या नहीं, सर्वोपरि समग्र विचार ए को हड़पने की आवश्यकता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

सभी चरणों में न्याय करने के लिए अनिवार्य दायित्व और किसी भी व्यक्ति के जीवन में विस्तार से बचने की आवश्यकता के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन।

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** उच्च न्यायालय के समक्ष कानून के कोई प्रश्न नहीं थे, न ही कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों के।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908 (**सी. पी. सी.**)** की धारा **100** के तहत दूसरी अपील पर केवल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।**[**पारस **17** और **23] [301-**ए**-**बी**; 302-**ई**]**

2. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मामले में उठाया गया कानून का कोई प्रश्न महत्वपूर्ण है, उचित परीक्षण यह होगा कि क्या यह सामान्य सार्वजनिक महत्व का है या क्या यह प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करता है और यदि ऐसा है, तो क्या यह या तो इस अर्थ में एक खुला प्रश्न है कि इस न्यायालय द्वारा अंततः इसका निपटारा नहीं किया गया है।यदि प्रश्न का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है या प्रश्न का निर्धारण करने में लागू किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए जाते हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने का केवल एक सवाल है या उठाया गया प्रश्न स्पष्ट रूप से बेतुका है, तो प्रश्न कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होगा।**[**पैरा **31] [305-**एफ**-**एच**]**

ग

डी.

3. 'सारगर्भित' होने के लिए, कानून का प्रश्न बहस योग्य होना चाहिए, जो पहले देश के कानून या एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती द्वारा तय नहीं किया गया है, और मामले के निर्णय पर एक सामग्री असर होना चाहिए, यदि किसी भी तरह से जवाब दिया जाता है, जहां तक पक्षकारों के अधिकारों का संबंध है।उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया एक पूरी तरह से नया मुद्दा मामले में शामिल प्रश्न नहीं है जब तक कि यह मामले की जड़ तक नहीं जाता है।इसलिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या कानून का कोई प्रश्न महत्वपूर्ण है और मामले में शामिल है या नहीं, सर्वोपरि समग्र विचार सभी चरणों में न्याय करने के लिए अनिवार्य दायित्व और किसी भी मुकदमे के जीवन में लंबे समय तक बचने की आवश्यकता के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन बनाने की आवश्यकता है।**[**पैरा **32] [307-**ए**-**डी**]**

ई.

च

जी.

4. वर्तमान मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी सबूत के कार्रवाई की।अपील का अधिकार क़ानून द्वारा प्रदान किया जाता है।जब कानून अपील ए का सीमित अधिकार प्रदान करता है

एच.

297

एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. के माध्यम से चंद्रभान (डिसीज्ड) बनामसरस्वती और ओआरएस।

केवल उन मामलों तक सीमित है जिनमें कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं, यह इस न्यायालय के लिए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक निष्कर्षों पर अपील करने के लिए खुला नहीं है।उच्च न्यायालय में उठाए गए प्रश्न, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करने के लिए निर्धारित परीक्षणों को पूरा नहीं करते थे कि प्रश्न कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।दूसरी अपील में कानून का कोई सवाल नहीं था, कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल तो छोड़िए।**[**पारस **34,36** और **37] [307-**डी, एफ**-**एच**]**

सर चुन्नीलाल वी. लाल मेहता एंड संस बनाम सेंचुरी स्पिनिंग

और विनिर्माण कंपनी लिमिटेड ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1314:[1962]

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 549;** हीरो विनोथ बनाम शेषम्मल **(2006)**

ग

एससीसी 545:[2006] 2 पूरक।एस. सी. आर. 79 और संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी (2001) 3 एस. सी. सी. 17:[2001] 1 एस. सी. आर. 948-पर निर्भर।

एल. आर. और अन्य द्वारा एच. पी. प्यारेजन बनाम दसप्पा (मृत)

(2006) 2 एससीसी 496:[2006] 2 एस. सी. आर. 120; राम प्रसाद

डी.

रजक बनाम नंद कुमार और ब्रदर्सऔर एक और **(1998) 6**

एससीसी 748:[1998] 1 पूरक।एससीआर 12, क्षितिज चंद्र

पुरकैट बनाम संतोष कुमार पुरकैट और अन्य **(1997) 5**

एससीसी 438:[1998] 1 पूरक।एस. सी. आर. 1, रिम्मलपुडी सुब्बा

राव बनाम नूनी वीराजू और अन्य। ए**.** आई**.** आर**. 1951** मैड **969 -**

संदर्भित किया गया।

ई.

निर्णीत विधि संदर्भ

[2006] 2 एससीआर **120**

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

[1998] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 12** संदर्भित

पैरा **24**

च

[1998] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 1** संदर्भित

पैरा **25**

[1962] पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 549** पैरा **27 [2006] 2** सप्लीमेंट पर निर्भर था।एस**.** सी**.** आर**. 79** पैरा **29 [2001] 1** एस**.** सी**.** आर**. 948** पैरा **32** पर निर्भर था।

जी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 6857।

1995 की दूसरी अपील संख्या 45 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से, औरंगाबाद की पीठ।

एच.

298

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 7 एस सी आर।

क.

संदीप सुधाकर देशमुख, नर हरि सिंह, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

उदय बी. दुबे, कौस्तुभ दुबे, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी**,** जे**.**

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. मूल वादी, चंद्रभान, (चूंकि मृतक, उनके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है) द्वारा दायर यह अपील, बॉम्बे में उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ द्वारा पारित 11 जनवरी 2016 के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ है, जिसमें प्रत्यर्थियों द्वारा दायर 1995 की दूसरी अपील संख्या 45 को अनुमति दी गई है, 1984 की नियमित दीवानी अपील आईडी1 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बीड द्वारा पारित 10 नवंबर 1994 के फैसले और आदेश को उलट दिया गया है और मूल वादी द्वारा दायर 1979 के नियमित दीवानी मुकदमे संख्या 198 को खारिज कर दिया गया है, जिसमें मुकदमे की संपत्ति के संबंध में स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा से राहत की प्रार्थना की गई है।

ग

डी.

3. मूल वादी के दादा संभाजी, चंद्रभान के दो बेटे थे, बलिराम और रामभाउ।बलिराम संभाजी के दो पुत्रों में सबसे बड़े थे।मूल प्रतिवादी नं. 1 यमुनाबाई, बलिराम की पत्नी थीं।

ई.

4. बलिराम और यमुनाबाई (मूल प्रतिवादी संख्या 1) निःसंतान थे, बलिराम के छोटे भाई रामभाऊ के दो बेटे थे, दिगंबर और चंद्रभान (मूल वादी)।

5. चूँकि बलिराम और यमुनाबाई निःसंतान थे, इसलिए बलिराम ने अपने भतीजे चंद्रभान (मूल वादी) को गोद लेने का फैसला किया।चंद्रभान (मूल वादी) बलिराम के छोटे भाई रामभाऊ का बेटा था, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।ऐसा कहा जाता है कि बलिराम और रामभाऊ पारस्परिक रूप से सहमत थे कि बलिराम रामभाऊ के बेटे चंद्रभान (मूल वादी) को गोद लेंगे।

च

6. शिकायत में, यह दलील दी गई थी कि मूल वादी, चंद्रभान को उसके चाचा बलिराम ने समुदाय के संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों की उपस्थिति में एक समारोह में गोद लिया था।अपीलार्थियों के अनुसार, मूल वादी चंद्रभान उस समय लगभग 14 वर्ष के थे जब उनके चाचा बलिराम ने उन्हें गोद लिया था, जो उनके दत्तक पिता बने।

जी.

एच.

299

एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. के माध्यम से चंद्रभान (डिसीज्ड) बनामसरस्वती और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

क.

7. मूल वादी को गोद लेने के लगभग छह महीने बाद 1951 में बलिराम की निर्वसीयत मृत्यु हो गई।अपने दत्तक पिता बलिराम की मृत्यु के बाद, मूल वादी चंद्रभान पास के एक गाँव में स्थानांतरित हो गए, जहाँ से उन्होंने बलिराम द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों का प्रबंधन किया।मूल प्रतिवादी संख्या 2 चंपाबाई मूल वादी चंद्रभान की पहली पत्नी हैं।1979 में, मूल प्रतिवादी संख्या 1, बलिराम की पत्नी यमुनाबाई ने कथित तौर पर मूल वादी की पत्नी मूल प्रतिवादी संख्या 2 चंपाबाई को सूट की संपत्तियां उपहार में दीं।

8. 8 मई 1979 को, मूल वादी ने 1979 का नियमित दीवानी मुकदमा संख्या 198, बीड, महाराष्ट्र में सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग की अदालत में मूल प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ दायर किया, जो बलिराम की पत्नी यमुनाबाई थी और मूल प्रतिवादी संख्या 2 चंपाबाई थी, जो उसकी अपनी पहली पत्नी थी और मुकदमे की संपत्तियों के स्वामित्व की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा और अन्य राहतों के लिए प्रार्थना कर रही थी।मूल प्रतिवादियों ने मुकदमे में अपने लिखित बयान दायर करते हुए तर्क दिया कि मूल वादी को बलिराम द्वारा अपनाया नहीं गया था।

ग

डी.

9. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने मुकदमे में मूल प्रतिवादी संख्या 3 से 6 होने के नाते, मूल प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के रुख का समर्थन करते हुए मुकदमे में अपना लिखित बयान दायर किया।

10. मूल वादी ने खुद के साथ-साथ गोद लेने के समय अनुष्ठान करने वाले पुजारी प्रभु योगिराज स्वामी सहित पांच अन्य गवाहों से यह साबित करने के लिए पूछताछ की कि उन्हें बलिराम ने गोद लिया था।मूल वादी ने यह साबित करने के लिए शाहूराव तुलसीराम धास की भी जांच की कि उनके पास सूट भूमि का कब्जा और खेती थी।दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों ने मूल प्रतिवादी संख्या 2, चंपाबाई और कई अन्य लोगों की जांच की ताकि यह स्थापित किया जा सके कि मूल वादी को कानूनी रूप से और/या वैध रूप से बलिराम द्वारा अपनाया नहीं गया था।

ई.

च

11. सिविल जज, जूनियर डिवीजन, बीड, महाराष्ट्र ने ट्रायल कोर्ट होने के नाते 1979 के नियमित सिविल सूट नंबर 198 को 31 जुलाई 1984 के एक फैसले और आदेश द्वारा खारिज कर दिया।

12. 5 नवंबर 1984 को, मूल वादी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बीड, महाराष्ट्र के प्रथम अपीलीय न्यायालय में 1984 की नियमित दीवानी अपील No.361 के रूप में एक अपील दायर की।10 नवंबर 1994 के एक निर्णय और आदेश द्वारा, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने 1984 की नियमित दीवानी अपील को अनुमति दी और निचली अदालत के 31 जुलाई 1984 के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत 1979 का नियमित दीवानी मुकदमा खारिज कर दिया गया था।

जी.

एच.

13. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि मूल वादी को बलिराम द्वारा अपनाया गया था और इस प्रकार वह अपनी मृत्यु के बाद बलिराम की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का हकदार था।14. प्रतिवादी Nos.1 से 4, मुकदमे में मूल प्रतिवादी संख्या 3 से 6 होने के नाते, जो मुकदमे की संपत्ति के विचाराधीन खरीदार थे, ने बॉम्बे (औरंगाबाद बेंच) में उच्च न्यायालय में 1995 की दूसरी अपील No.45 दायर की।मूल प्रतिवादी संख्या 1 और मूल प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती नहीं दी।

15. उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को स्वीकार कर लिया, जिसकी विस्तार से सुनवाई की गई और 11 जनवरी 2016 के एक निर्णय और आदेश द्वारा इसकी अनुमति दी गई, जो हमारे समक्ष इस अपील में आक्षेपित है।

ग

16. उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार किया।

“(I) क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस परिस्थिति पर विचार नहीं करने में त्रुटि की है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सर्वेक्षण Nos.86/1,100/3 और 109/2 जैसी तीन कृषि भूमि के संबंध में किए गए बिक्री के अन्य लेनदेन, जो बलिराम द्वारा छोड़े गए थे, को वादी द्वारा मुकदमे में चुनौती नहीं दी गई है?

डी.

((2) क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस परिस्थिति पर विचार न करने में त्रुटि की है कि बलिराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 का नाम केवल बलिराम के उत्तराधिकारी के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तित किया गया था और वादी का नाम बलिराम के उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज नहीं किया गया था?

ई.

(3) क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस परिस्थिति पर विचार न करने में त्रुटि की है कि सहकारी ऋण समिति वादी को बलिराम द्वारा वादी के रूप में छोड़ी गई भूमि पर ऋण नहीं दे सकती थी, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में मालिक के रूप में नहीं दिखाया गया था और आगे ऐसी परिस्थिति है कि यह प्रतिवादी संख्या 1 है जिसने ऋण चुकाया था?

च

(4) क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस परिस्थिति को उचित महत्व नहीं देते हुए त्रुटि की है जैसे कि वादी ने कभी भी अपने पिता के रूप में बलिराम के नाम का उपयोग नहीं किया और उसने अपने स्वाभाविक पिता रामभाऊ के नाम का उपयोग करना जारी रखा?(V) चाहे गोद लेने के विवरण के संबंध में विशिष्ट अभिवचनों की अनुपस्थिति के कारण और ए में विसंगतियों के कारण

जी.

एच.

301

एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. के माध्यम से चंद्रभान (डिसीज्ड) बनामसरस्वती और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

गवाहों का साक्ष्य यह कहा जा सकता है कि गोद लेने के तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं?"

17. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष कानून के कोई प्रश्न नहीं थे, कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात नहीं करने के लिए।

18. मान लीजिए, मुकदमे में सबूत पेश किए गए थे।मूल वादी ने खुद को गवाह के रूप में जांचा और पाँच अन्य गवाहों से पूछताछ की।मूल वादी ने गोद लेने का साक्ष्य दिया।मूल वादी के भाई दिगंबर की पत्नी, दूसरी गवाह त्रिवेणीबाई, चंद्रभान ने कहा कि रामभाऊ के आवास पर एक गोद लेने का समारोह आयोजित किया गया था।उन्होंने यह भी कहा कि मूल वादी चंद्रभान ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में बलिराम का अंतिम संस्कार किया था।अन्य गवाहों ने यह भी कहा कि वे उस समारोह में शामिल हुए थे जिसमें मूल वादी चंद्रभान को बलिराम को गोद लेने के लिए दिया गया था।निचली अदालत ने साक्ष्य में विरोधाभास और विसंगतियों के आधार पर वादी के तर्क को खारिज कर दिया।

ग

19. विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि गोद लेने की आवश्यक आवश्यकताओं, जैसे गोद लेने में देना और गोद लेना, का प्रदर्शन स्थापित नहीं किया गया था।

डी.

20. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्य का पुनः विश्लेषण किया और पाया कि 1950 में गोद लेने के बाद से कुछ विसंगतियां और विसंगतियां स्वाभाविक थीं और लगभग 34 साल बाद 1984 में साक्ष्य लिया गया था।इस प्रकार, कुछ विसंगतियाँ स्वाभाविक थीं।

ई.

21. प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष कि मूल वादी, चंद्रभान, बलिराम का गोद लिया हुआ पुत्र था, इस पर आधारित थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(i) मूल वादी, चंद्रभान के बड़े भाई दिगंबर की पत्नी त्रिवेणीबाई (पीडब्लू-2) का साक्ष्य,

च

((ii) दत्तक ग्रहण समारोह का संचालन करने वाले पुजारी प्रभु योगीराज स्वामी का साक्ष्य।(पीडब्लू-6)।

(iii) यह स्वीकार करना कि पीडब्लू-6 परिवार का पुजारी था जो उस समुदाय के अनुष्ठान करता था जिससे दल संबंधित थे।

जी.

((iv) इस बात का प्रमाण कि मूल वादी चंद्रभान बलिराम के घर में रह रहा था।

(v) मूल वादी चंद्रभान का नाम रजिस्टरों और दस्तावेजों में चंद्रभान बलिराम के रूप में दिखाया गया है।

एच.

(vi) यह तथ्य कि मूल वादी की पहली पत्नी चंपाबाई मूल प्रतिवादी संख्या 1, यमुनाभाई के साथ रह रही थीं।

(vii) रामभाऊ की संपत्तियां अकेले दिगंबर को विरासत में मिली थीं-मूल वादी को संपत्तियों में कोई हिस्सा नहीं मिला था।

(viii) पीडब्लू-7 के साक्ष्य, बंसी हजारे, जो 1961 से 1963 की अवधि के लिए घरगांव सोसायटी के सचिव थे, ने उल्लेख किया कि क्र. सं. द्वारा चंद्रभान बलिराम का एक फसल ऋण खाता था। No.35 अपने रजिस्टर में।रजिस्टर से पता चलता है कि चंद्रभान बलिराम ने 31 जुलाई 1961 तक Rs.150 का ऋण चुका दिया।

ग

22. मूल वादी ने एक शिवगंगा से फिर से शादी की, जबकि पहली पत्नी चंपाबाई मूल वादी के साथ रहती रहीं, जैसा कि उनके साक्ष्य में कहा गया है।चम्पाबाई ने कहा था कि मूल वादी, शिवगंगा और वह एक साथ रह रहे थे।मध्य नाम, जो कि पिता का नाम है, के चंद्रभान के नाम पर रामभाऊ के बजाय बलिराम के रूप में उपयोग ने बलिराम द्वारा चंद्रभान को गोद लेने के अनुमान को जन्म दिया।

डी.

23. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सी. पी. सी.) की धारा 100 के तहत दूसरी अपील पर केवल एक मामले में ही विचार किया जा सकता है।

ई.

कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न।एल. आर. और अन्य 1 द्वारा एच. पी. प्यारेजन बनाम दसप्पा (मृत) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“16. इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय का निर्णय गंभीर दुर्बलताओं से ग्रस्त है।यह अधिकारिता के प्रयोग के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है जो कानून के तहत उच्च न्यायालय में निहित नहीं था।संहिता की धारा 100 (1976 में संशोधित) के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नीचे दिए गए न्यायालयों के फैसलों में हस्तक्षेप करना कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सुनवाई तक ही सीमित है।उच्च न्यायालय द्वारा तथ्य के निष्कर्ष के साथ हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है यदि इसमें साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन शामिल है (देखें पंचुगोपाल बरुआ बनाम उमेश चंद्र गोस्वामी [(1997) 4 एस. सी. सी. 713] और क्षितिज चंद्र पुरकैट बनाम संतोष कुमार पुरकैट [(1997) 5 एस. सी. सी. 438])।उच्च न्यायालय ने किसी भी सबूत पर चर्चा भी नहीं की है।नीचे दी गई अदालतों द्वारा दर्ज तथ्य के किसी भी बुनियादी निष्कर्ष को उलट नहीं दिया गया है।

च

जी.

एच.

1 (2006) 2 एससीसी 496 ए

303

एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. के माध्यम से चंद्रभान (डिसीज्ड) बनामसरस्वती और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत कोई कारण नहीं दिया गया है।अनुबंध को पूरा करने के लिए तैयारी और इच्छा के सवाल पर निष्कर्ष जो कानून और तथ्य का एक मिश्रित सवाल है, परेशान कर दिया है।अधिनियम की धारा 16 (1) (सी) द्वारा सांविधिक रूप से यह प्रावधान किया गया है कि किसी अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में सफल होने के लिए वादी यह साबित करेगा कि उसने अनुबंध की आवश्यक शर्तों का पालन किया है और हमेशा तैयार और इच्छुक रहा है, जो उसके द्वारा निष्पादित की जानी थीं, उन शर्तों के अलावा जिनके प्रदर्शन को प्रतिवादी द्वारा रोका या माफ कर दिया गया है।"

ग

24. राम प्रसाद रजक बनाम नंद कुमार एंड ब्रदर्स।और

अन्य 2, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, "एक बार जब उच्च न्यायालय में कार्यवाही को धारा 100 सी. पी. सी. के तहत दूसरी अपील के रूप में माना जाता है, तो उक्त धारा में निर्धारित प्रतिबंध लागू हो जाएंगे।उच्च न्यायालय इस मामले को दूसरी अपील के रूप में देख सकता था और उसे यह पता लगाना चाहिए था कि क्या विचार के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ है।जब तक कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था, तब तक उच्च न्यायालय को दूसरी अपील पर विचार करने और गुण-दोष पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।"

डी.

25. क्षितिज चंद्र पुरकैट बनाम संतोष कुमार पुरकैट में

और अन्य 3, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का अस्तित्व अनिवार्य था।

ई.

26. क्षितिश चंद्र पुरकैट (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"10. हम केवल यह जोड़ेंगे कि (क) प्रारंभिक चरण में भी मामले में शामिल कानून के सारवान प्रश्न को तैयार करना उच्च न्यायालय का कर्तव्य है; और (ख) (असाधारण) मामलों में, बाद के समय में, जब न्यायालय कानून के सारवान प्रश्न को तैयार करने में धारा 100 सी. पी. सी. की उप-धारा (5) के परंतुक के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, तो विरोधी पक्ष को उस पर नोटिस पर रखा जाना चाहिए और उस मुद्दे को पूरा करने के लिए एक उचित या उचित अवसर दिया जाना चाहिए। अपील में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना अपील की सुनवाई के लिए आगे बढ़ना अवैध है और अदालत में डाले गए कर्तव्य का त्याग या त्याग है।

च

जी.

2 (1998) 6 एससीसी 748 3 (1997) 5 एससीसी 438

एच.

304 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 7 एस. सी. आर.

और कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्माण के बाद भी, यदि एक निष्पक्ष या उचित अवसर विपरीत पक्ष को नहीं दिया जाता है, तो यह प्राकृतिक न्याय से इनकार करने के बराबर होगा।उपरोक्त मानदंड जिनके भीतर उच्च न्यायालय को सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना है, उन्हें हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए।हमें यह कहते हुए खेद है कि उपरोक्त पहलुओं को कई मामलों में शायद ही कभी ध्यान में रखा जाता है और उपरोक्त अनुशासन के अनुरूप हुए बिना दूसरी अपीलों पर विचार किया जाता है और/या उनका निपटारा किया जाता है।"

27. धारा 100 सी. पी. सी. के अर्थ के भीतर कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, यह निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश इसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

ग

सर चुन्नीलाल वी. लाल मेहता एंड संस बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 4

28. सर चुनीलाल वी. मेहता एंड संस (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने सहमति व्यक्त की

मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले के साथ और उसे मंजूरी दी

रिम्मलपुडी सुब्बा राव बनाम नूनी वीराजू और अन्य। **5** जो निर्धारित किए गए हैं

डी.

कानून का प्रश्न कब कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, यह तय करने के लिए सिद्धांत।

29. हीरो विनोथ बनाम शेषम्मल **6** में**,** इस दरबार ने सर का अनुसरण किया।

चुनिलाल बनाम मेहता एंड संस (ऊपर) और अन्य निर्णयों और यह पता लगाने के लिए परीक्षणों का सारांश दिया कि क्या कानून के प्रश्नों का एक दिया गया समूह केवल कानून के प्रश्न थे या कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न थे।

ई.

30. हीरो विनोथ **(**ऊपर**)** में इस न्यायालय के फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं:

"21. संशोधित धारा 100 सी. पी. सी. में आने वाले वाक्यांश "कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न" को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है।सारगर्भित शब्द, "कानून के प्रश्न" को अर्हता प्रदान करने के रूप में, का अर्थ है सार, आवश्यक, वास्तविक, ध्वनि मूल्य का, महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण होना।इसे तकनीकी के विपरीत कुछ के रूप में समझा जाना चाहिए, जिसका कोई सार या परिणाम

नहीं है, या केवल अकादमिक है।हालाँकि, यह स्पष्ट है कि विधायिका ने "सामान्य महत्व के" शब्दों को प्रत्यय करके "कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न" के दायरे को अर्हता प्राप्त करने के लिए नहीं चुना है जैसा कि कई अन्य में किया गया है।

च

जी.

4 ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1314 5 ए. आई. आर. 1951 मैड 969 6 (2006) 5 एस. सी. सी. 545 ए

एच.

305

एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. के माध्यम से चंद्रभान (डिसीज्ड) बनामसरस्वती और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

संहिता की धारा 109 या संविधान के अनुच्छेद 133 (1) (ए) जैसे प्रावधान।कानून का वह सारवान प्रश्न, जिस पर दूसरी अपील की सुनवाई की जाएगी, जरूरी नहीं कि सामान्य महत्व का कानून का सारवान प्रश्न हो।गुरन डिट्टा बनाम राम डिट्टा 55 आईए 235:ए. आई. आर. 1928 पी. सी. 172] वाक्यांश "कानून का सारवान प्रश्न" जैसा कि तत्कालीन मौजूदा धारा 100 सी. पी. सी. (संशोधन अधिनियम, 1973 द्वारा हटाए जाने के बाद से) के अंतिम खंड में प्रयुक्त किया गया था, विचार के लिए आया और उनके प्रभुत्त्वों ने माना कि इसका अर्थ सामान्य महत्व का सारवान प्रश्न नहीं है, बल्कि कानून का सारवान प्रश्न है जो मामले में शामिल था।सर चुनीलाल मामले में [1962 सप्लीमेंट (3)]

एससीआर 549:ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1314] संविधान पीठ ने संविधान की पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए निम्नलिखित दृष्टिकोण के साथ सहमति व्यक्त की।

ग

मद्रास उच्च न्यायालय ने रिम्मलपुडी सुब्बा राव बनाम नूनी मामले में

वीराजू [ए. आई. आर. 1951 मैड 969:(1951) 2 एमएलजे 222 (एफबी)]:(सर चुनिलाल मामला [1962 सप्लीमेंट (3) एस. सी. आर. 549:ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1314], एस. सी. आर. पी.557)

डी.

“[यदि कानून का कोई प्रश्न काफी तर्कपूर्ण है, जहां उस पर मतभेद की गुंजाइश है या जहां न्यायालय ने उस प्रश्न से कुछ विस्तार से निपटना और वैकल्पिक विचारों पर चर्चा करना आवश्यक समझा है, तो प्रश्न कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दूसरी ओर, यदि प्रश्न व्यावहारिक रूप से उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा कवर किया गया था या यदि प्रश्न निर्धारित करने में लागू किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं और एकमात्र प्रश्न उन सिद्धांतों को मामले के विशेष तथ्य पर लागू करने का था, तो यह कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होगा।"

ई.

च

31. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मामले में उठाया गया कानून का कोई प्रश्न महत्वपूर्ण है, उचित परीक्षण यह होगा कि क्या यह सामान्य सार्वजनिक महत्व का है या क्या यह प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करता है और यदि ऐसा है, तो क्या यह या तो इस अर्थ में एक खुला प्रश्न है कि इस न्यायालय द्वारा अंततः इसका निपटारा नहीं किया गया है।यदि प्रश्न का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है या प्रश्न का निर्धारण करने में लागू किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए जाते हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने का केवल एक सवाल है या उठाया गया प्रश्न स्पष्ट रूप से बेतुका है, तो प्रश्न कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होगा।

जी.

32. 'सारगर्भित' होने के लिए, कानून का प्रश्न बहस योग्य होना चाहिए, जो पहले देश के कानून या एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती द्वारा तय नहीं किया गया है, और मामले के निर्णय पर एक सामग्री असर होना चाहिए, यदि किसी भी तरह से जवाब दिया जाता है, जहां तक पक्षकारों के अधिकारों का संबंध है।"मामले में शामिल" कानून का प्रश्न होने के लिए सबसे पहले, अभिवचनों में इसकी नींव रखी जानी चाहिए और यह प्रश्न तथ्यों की अदालत द्वारा प्राप्त तथ्यों के स्थायी निष्कर्षों से उभरना चाहिए और मामले के न्यायसंगत और उचित निर्णय के लिए कानून के उस प्रश्न का निर्णय करना आवश्यक होना चाहिए।उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया एक पूरी तरह से नया मुद्दा मामले में शामिल प्रश्न नहीं है जब तक कि यह मामले की जड़ तक नहीं जाता है। इसलिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या कानून का कोई प्रश्न महत्वपूर्ण है और मामले में शामिल है या नहीं, सर्वोपरि समग्र विचार सभी चरणों में न्याय करने के लिए अनिवार्य दायित्व के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन बनाने की आवश्यकता है और मामले में लंबे समय तक टालने की आवश्यकता को प्रेरित करता है।

ग

किसी भी लिस का जीवन।**(**संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी **7)** देखें।

33. इस मामले के लिए प्रासंगिक सी. पी. सी. की धारा 100 से संबंधित सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

डी.

(i) किसी दस्तावेज़ के पाठ या विषय-वस्तु से तथ्य का निष्कर्ष तथ्य का प्रश्न है।लेकिन दस्तावेज़ की शर्तों का कानूनी प्रभाव कानून का सवाल है।कानून के किसी भी सिद्धांत के अनुप्रयोग से जुड़े दस्तावेज़ का निर्माण भी कानून का सवाल है।इसलिए, जब किसी दस्तावेज़ का गलत निर्माण होता है या किसी दस्तावेज़ का अर्थ लगाने में कानून के सिद्धांत का गलत उपयोग होता है, तो यह कानून के सवाल को जन्म देता है।

ई.

((ii) उच्च न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, न कि केवल कानून का प्रश्न। कानून का सवाल, जिसका मामले के निर्णय पर कोई सामग्री असर करती है (यानी, एक सवाल, जिसका जवाब मुकदमे के पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करता है) कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल होगा, अगर यह कानून के किसी विशिष्ट प्रावधान या बाध्यकारी पूर्वजों से उभरने वाले तय किए गए कानूनी सिद्धांत के दायरे में नहीं आता है और इसमें एक बहस योग्य कानूनी मुद्दा शामिल है।एक विपरीत स्थिति में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उत्पन्न होगा, जहां कानूनी स्थिति स्पष्ट है, या तो कानून के स्पष्ट प्रावधानों या बाध्यकारी उदाहरणों के कारण, लेकिन नीचे की अदालत ने मामले का फैसला किया है, या तो इस तरह के कानूनी सिद्धांत की अनदेखी की है या इसके विपरीत काम किया है।दूसरे प्रकार के मामलों में, महत्वपूर्ण प्रश्न

च

जी.

7 (2001) 3 एस. सी. सी. 177 ए

कानून का उद्भव इसलिए नहीं होता है कि कानून अभी भी बहस योग्य है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि किसी भौतिक प्रश्न पर दिया गया निर्णय कानून की तय स्थिति का उल्लंघन करता है।

(iii) सामान्य नियम यह है कि उच्च न्यायालय निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा प्राप्त तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन यह एक पूर्ण नियम नहीं है।कुछ अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवाद हैं जहां (i) नीचे दी गई अदालतों ने भौतिक साक्ष्य की अनदेखी की है या बिना किसी साक्ष्य के कार्रवाई की है; (ii) अदालतों ने कानून को गलत तरीके से लागू करके साबित तथ्यों से गलत निष्कर्ष निकाले हैं; या (iii) अदालतों ने गलत तरीके से सबूत का बोझ डाला है।जब हम "बिना किसी साक्ष्य के निर्णय" का उल्लेख करते हैं, तो यह न केवल उन मामलों को संदर्भित करता है जहां साक्ष्य की कुल कमी है, बल्कि किसी भी मामले को भी संदर्भित करता है, जहां साक्ष्य, समग्र रूप से लिया गया है, निष्कर्ष का समर्थन करने में यथोचित रूप से सक्षम नहीं है।

ग

34. इस मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी सबूत के कार्रवाई की।उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी दूसरी अपील में प्रत्यर्थियों ने किसी भी ऐसे भौतिक साक्ष्य का विज्ञापन नहीं किया जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था।प्रत्यर्थी यह भी नहीं दिखा सके कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा कानून को गलत तरीके से लागू करके साबित तथ्यों से कोई गलत निष्कर्ष निकाला गया था।

डी.

35. इस मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, मूल वादी के साथ-साथ प्रतिवादियों की ओर से भी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया और वास्तव में पाया कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के अपने विश्लेषण में गलती की थी और विसंगतियों और विसंगतियों को अनुचित महत्व दिया था, जो वास्तव में भौतिक नहीं थे, गोद लेने की तारीख से 34 वर्षों के समय अंतराल की अनदेखी करते हुए।प्रथम अपीलीय न्यायालय के तर्क में ऐसी कोई दुर्बलता नहीं थी जिसमें हस्तक्षेप का आह्वान किया गया था।

ई.

च

36. अपील का अधिकार स्वतः नहीं होता है।अपील का अधिकार क़ानून द्वारा प्रदान किया जाता है।जब कानून केवल उन मामलों तक सीमित अपील का सीमित अधिकार प्रदान करता है जिनमें कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होते हैं, तो इस न्यायालय के लिए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक निष्कर्षों पर अपील करने का अधिकार नहीं है।

जी.

37. उच्च न्यायालय में उठाए गए प्रश्न, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करने के लिए निर्धारित परीक्षणों को पूरा नहीं करते थे कि प्रश्न कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।हम यह मानने के लिए विवश हैं कि दूसरी अपील में शामिल कानून का कोई सवाल नहीं था, कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल तो छोड़िए।

एच.

38. अपील, उन कारणों के लिए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अनुमत है।विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और 1984 की नियमित दीवानी अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और आदेश/डिक्री को बहाल कर दिया जाता है।

बिभूति भूषण बोस

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.